दिनांक 29.11.2022
प्रेस विज्ञप्ति 29/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुरादाबाद/थाना ठाकुरद्वारा/थाना भोजपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 50–50 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.11.2022 को थाना ठाकुरद्वारा, थाना भोजपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ढेला नदी गणेशपुर जंगल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। जिसमें एक उ0नि0 घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–बिलाल 2–अतुल कुमार घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 04 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद मुरादाबाद से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50–50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में जनपद मुरादाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बिलाल निवासी पसियापुर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

2–अतुल कुमार निवासी कमालपुरी थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद मीरजापुर/थाना अदलहाट

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 29.11.2022 को थाना अदलहाट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जो थाना अदलहाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 225/2022 धारा 302 भादवि के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अदलहाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास कुमार निवासी मुस्कीपुर कोठी थाना गोगरी जनपद खगड़िया बिहार।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद रायबरेली/थाना गुरूबक्शगंज

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.11.2022 को थाना गुरूबक्शगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाल्हेमऊ पुलिया के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–अभिषेक 2–राजबहादुर उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07–07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गुरूबक्शगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 710/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गुरूबक्शगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक निवासी ऐहार थाना लालगंज जनपद रायबरेली।

2–राजबहादुर उर्फ शेरा निवासी देवगांव थाना लालगंज जनपद रायबरेली।

जनपद फतेहपुर/थाना जहानाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 28.11.2022 को थाना जहानाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अब्दुलहेपुर गांव के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो

बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त तौफीक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना विधनू कमिश्नरेट कानपुर नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 522/2022 धारा 457/380 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट कानपुर नगर स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जहानाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तौफीक निवासी चिश्तीनगर थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद बलिया/थाना बांसडीह रोड

- **15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.11.2022 को थाना बासंडीह रोड पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बांसडीह रोड तिराहा के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–रविन्द्र 2–मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना सहतवार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 279/2022 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बांसडीह रोड पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रविन्द्र निवासी हकीमपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

2–मनोज कुमार निवासी हकीमपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर।

जनपद एटा/थाना अलीगंज

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लोहे की प्लेट बरामद**

दिनांक 29.11.2022 को थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुमित उर्फ गचिया को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अलीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुमित उर्फ गचिया निवासी काशीराम कालोनी थाना जैथरा जनपद एटा।

बरामदगी

1–चोरी के लोहे की प्लेट।

जनपद गाजियाबाद/थाना विजयनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 28 कट्टा (लगभग 12 कुन्तल 47 किलो 144 ग्राम) ताँबा**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 28/29.11.2022 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजलीघर चौराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक मुख्य आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शकील उर्फ साका 2–फुरकान घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 3–सोताब 4–किशन को गिरफ्तार कर लूटे गये 28 कट्टा (लगभग 12 कुन्तल 47 किलो 144 ग्राम) ताँबा, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके पास से बरामद ताँबा, मोटर साइकिल डकैती/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शकील उर्फ साका निवासी सैन विहार थाना क्रोसिंग रिप्बलिक जनपद गाजियाबाद।

2–फुरकान निवासी ढबारसी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

3–सोताब निवासी सैन विहार थाना क्रोसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद।

4–किशन निवासी बिहारीपुरा थाना क्रोसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—लूटे गये 28 कट्टा (लगभग 12 कुन्तल 47 किलो 144 ग्राम) ताँबा।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर 32 बोर, 32 जीवित कारतूस**
- **चोरी के 12 लाख रूपये कीमत के सोने—चाँदी के आभूषण व सिक्के आदि बरामद**

दिनांक 29.11.2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मालगोदाम तिराहा के पास से अभियुक्त विनय को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर 32 बोर, 32 जीवित कारतूस, चोरी के 12 लाख रूपये कीमत के सोने—चाँदी के आभूषण व सिक्के आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.11.2022 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 842/2022 धारा 454/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रिवाल्वर, आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विनय निवासी मनोहर नगर थाना मेरापुर जनपद फर्रूखाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर 32 बोर, 32 जीवित कारतूस।

2—12 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण व सिक्के आदि।

जनपद मथुरा/थाना गोविन्दनगर

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 29.11.2022 को थाना गोविन्दनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौकी बिरला बैरियर के पास चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तों 1—यश उर्फ युधिष्ठिर 2—आकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आकाश के विरूद्ध जनपद मथुरा, अलीगढ़ के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद दो पहिया वाहन चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गोविन्दनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—यश उर्फ युधिष्ठिर निवासी छिनपारई थाना नौहझील जनपद मथुरा।

2—आकाश निवासी बैशालीपुरम कालोनी थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—चोरी की 06 दो पहिया वाहन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद मैनपुरी/थाना कोतवाली मैनपुरी

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 75 हजार रूपये नगद**
- **48 एटीएम कार्ड, 65 मोबाइल सिम, 06 मोबाइल फोन आदि**
- **02 अवैध तमंचा 04 जीवित कारतूस**
- **01 आई–20 कार बरामद**

दिनांक 29.11.2022 को थाना कोतवाली मैनपुरी व साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ईशन नदी पुल के पास से 06 अभियुक्तों 1–सुमित 2–गजेन्द्र 3–मोहम्मद जाहिद 4–गौरव 5–लोकेश 6–मोहम्मद मन्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 75 हजार रूपये नगद, 48 एटीएम कार्ड, 65 मोबाइल सिम, 06 मोबाइल फोन आदि, 02 अवैध तमंचा 04 जीवित कारतूस, 01 आई–20 कार बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो एटीएम मशीन के पास भोलेभाले नागरिकों की मदद करने के बहाने धोखाधड़ी से एटीएम कार्ड लेकर पैसे निकाल लेते है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली मैनपुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुमित निवासी चोटपुर कालोनी थाना फेस–3 नोएडा।

2–गजेन्द्र निवासी तौली थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।

3–मोहम्मद जाहिद निवासी अमाड़ी कुकरन थाना धमिधा जनपद पूर्णिया बिहार।

4–गौरव निवासी पुरा हाथरस थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस।

5–लोकेश निवासी गोकुलपुर थाना निधौली जनपद एटा।

6–मोहम्मद मन्टू निवासी चोटपुर कालोनी थाना फेस–3 नोएडा।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 75 हजार रूपये नगद।

2–48 एटीएम कार्ड, 65 मोबाइल सिम, 06 मोबाइल फोन आदि।

3–02 अवैध तमंचा 04 जीवित कारतूस।

4–01 आई–20 कार।

- **जनपद गोण्डा/थाना मोतीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नन्द कुमार वर्मा को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय–प्रथम जनपद हापुड़ द्वारा थाना पिलखुवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी/201 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पवन को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद भदोही/थाना भदोही(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद भदोही पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)–प्रथम जनपद भदोही द्वारा थाना भदोही पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20(बी)(II)(सी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–साम सुन्दर खारा 2–दिवाकर बहेरा 3–साधू कुमार 4–मनोहर सोना को 14 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना अवागढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय पॉक्सो एक्सक्लूसिव कोर्ट एटा द्वारा थाना अवागढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विपिन को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या–46 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)(एफ)(1)/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सिराज को 11 वर्ष के कठोर कारावास व 18 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद भदोही (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 10 करोड़ 92 लाख 71 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद भदोही पुलिस ने अभियुक्त विजय कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 रामदेव मिश्रा निवासी खपटिहा थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज, हालपता कौलापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही द्वारा अपने परिजनो/रिश्तेदारो के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 10 करोड़ 92 लाख 71 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।